

संसदीय वशिषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

प्रलिम्स के लिये:

संसदीय वशिषाधिकार, संसदीय परंपराएँ, वैधानिक कानून, प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, न्यायिक उन्मुक्ति, वशिषाधिकार का उल्लंघन, वशिषाधिकार समिति, लोकसभा, राज्यसभा, नदि, नलिंबन, नषिकासन, 44वाँ संशोधन अधिनियम 1978, संसदीय स्वायत्तता, सर्वोच्च न्यायालय (SC), संविधान के अनुच्छेद 105, 122, 194 और 212।

मेन्स के लिये:

लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में संसदीय वशिषाधिकारों और उन्मुक्तियों का महत्त्व

संसदीय वशिषाधिकार और उन्मुक्तियाँ क्या हैं?

परिचय:

- संसदीय वशिषाधिकार और उन्मुक्ति से तात्पर्य भारत में **संसद सदस्यों (MP)** और **राज्य विधानसभाओं के सदस्यों** को दिये गए **वशिषाधिकारों, स्वतंत्रताओं और उन्मुक्तियों** से है, ताकि वे अपने **कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक** और **बिना किसी हस्तक्षेप के** पालन कर सकें।
- ये वशिषाधिकार **लोकतांत्रिक ढाँचे में विधायी संस्थाओं की स्वतंत्रता, गरिमा और प्रभावी कार्यप्रणाली** सुनिश्चित करते हैं।

उत्पत्ति:

- भारत में संसदीय वशिषाधिकारों की जड़ें **चार्टर अधिनियम, 1833** में हैं तथा इनका विकास **भारत सरकार अधिनियम, 1935** के माध्यम से हुआ, जसिने विधायकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की।

संसदीय वशिषाधिकारों के स्रोत:

- **भारत का संविधान :**
 - **अनुच्छेद 105:** **अनुच्छेद 105** सांसदों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संसद या इसकी समितियों में कार्यवाही के लिये न्यायालयी कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता है, तथा संसद को विधिद्वारा वशिषाधिकारों को परभाषित करने का अधिकार देता है।
 - **अनुच्छेद 122:** **अनुच्छेद 122** प्रक्रियागत अनियमितताओं के आधार पर संसदीय कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध लगाता है।
 - **अनुच्छेद 194:** **अनुच्छेद 194** राज्य विधायकों को विधायिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्यों के लिये उन्मुक्ति प्रदान करता है, साथ ही विधियों के माध्यम से वशिषाधिकारों को परभाषित करने की शक्ति भी प्रदान करता है।
 - **अनुच्छेद 212:** **अनुच्छेद 212** प्रक्रियागत अनियमितताओं के कारण न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही पर सवाल उठाने से प्रतिबंधित करता है।
- **संसदीय सम्मेलन** (1947 की ब्रिटिश संसदीय प्रथाओं पर आधारित)।
- **वैधानिक कानून** (**संसद** द्वारा अधिनियमित कानून)।
- **प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम** (**लोकसभा** और **राज्यसभा**)।
- **न्यायिक व्याख्याएँ** (**सर्वोच्च न्यायालय** और **उच्च न्यायालय** के नरिणय)।

प्रमुख वशिषाधिकार:

- इसका उद्देश्य संसदीय कार्यों के निष्पादन के दौरान **सदस्यों को बाह्य दबावों और विधिक दायित्वों से संरक्षण** देना है।
- ये वशिषाधिकार **सदस्यता के साथ ही समाप्त** हो जाते हैं, अर्थात् व्यक्ति के विधानमंडल का सदस्य न रहने पर ये वशिषाधिकार समाप्त हो जाते हैं।
- इनका विस्तार **व्यक्तिगत सदस्यों और सामूहिक संस्था (सदन)** तक है।

नोट:

- वर्तमान में **संसद** का कोई ऐसा अधिनियम नहीं है जो **संसदीय वशिषाधिकारों** को परभाषित करता हो।
- ये उन्मुक्तियाँ वर्तमान में **ब्रिटिश संसदीय परंपराओं द्वारा शासित** हैं।

- वशिषाधिकारों को संज्ञिताबद्ध करने के प्रयासों को **अस्वीकार** कर दिया गया है, तथा वर्ष 2008 में **लोकसभा की वशिषाधिकार समिति** ने इसके वरुद्ध सफारशि की थी ।

सांसदों और वधायकों को कौन-कौन से संसदीय वशिषाधिकार प्राप्त हैं?

व्यक्तगत वशिषाधिकार:

- **परचिय:**
 - व्यक्तगत वशिषाधिकार से तात्पर्य **सांसदों** और **राज्य वधिनमंडल के सदस्यों** द्वारा प्राप्त अधिकारों और उनमुक्तियों से है, जो उन्हें हस्तक्षेप या अभयोजन के भय के बनिा अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाती हैं ।
- **वशिषाधिकार:**
 - **अभयिकता की स्वतंत्रता:** सदस्यों को संसद में **अपनी बात स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार** है (**अनुच्छेद 105(1)**) ।
 - **वधिकि कार्यवाही से उनमुक्तता:** **संसद** या उसकी समतियों में कही गई किसी बात या दयि गए मत के लयि सदस्यों को न्यायालयी कार्यवाही से संरक्षण प्राप्त है (**अनुच्छेद 105(2)**) ।
 - **प्रकाशनों के लयि संरक्षण:** रपौरट, पत्र, वोट या संसद द्वारा अधिकृत कार्यवाही प्रकाशति करने के लयि व्यक्तियों के खलिाफ कोई न्यायालयी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती (**अनुच्छेद 105 (2)**) ।
 - **न्यायकि जाँच से उनमुक्तता:** न्यायालय प्रक्रयात्मक अनयिमतिताओं के आधार पर संसदीय कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं उठा सकते (**अनुच्छेद 122(1)**) ।
 - **गरिफ्तारी से उनमुक्तता:** सदस्यों को सत्र के दौरान सविलि मामलों में गरिफ्तारी से उनमुक्तता प्रदान की जाती है, साथ ही सत्र से **40 दिन पहले और बाद** में भी गरिफ्तारी से उनमुक्तता प्रदान की जाती है (**धारा 135 A, सविलि प्रक्रयाि संहति, 1908**) ।

सामूहकि वशिषाधिकार:

- **परचिय:**
 - ये वे अधिकार और उनमुक्तियों हैं जो **भारतीय संसद और राज्य वधिनमंडल तथा उनके सदस्यों और अधिकारियों को सामूहकि रूप से** प्राप्त हैं ।
- **वशिषाधिकार:**
 - **प्रकाशन अधिकार:** संसद अपनी रपौरट, बहस और कार्यवाही प्रकाशति कर सकती है और दूसरों को ऐसा करने से प्रतर्बिधति कर सकती है ।
 - **44वाँ संशोधन अधनयिम 1978**, प्रेस को गुप्त बैठकों को छोड़कर, बनिा पूर्व अनुमदन के संसदीय कार्यवाही की सटीक रपौरट प्रकाशति करने की अनुमता देता है ।
 - **गुप्त बैठकें:** संसद **अतथियों (Strangers) को बाहर रख सकती है** और महत्त्वपूर्ण मामलों पर **गुप्त चर्चा** कर सकती है ।
 - **नयिम-नरिमाण प्राधिकरण:** यह संबंधति मामलों के न्यायनरिणयन संहति **अपनी प्रक्रयाओं** और व्यावसायकि आचरण के लयि **नयिम स्थापति** कर सकता है ।
 - **अनुशासनात्मक शक्तियाँ:** संसद **वशिषाधिकार के उल्लंघन** या अवमानना के लयि **सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों को नदि, चेतावनी, कारावास, नलिंबन या नषिकासन के माध्यम से दंडति** कर सकती है ।
 - **सूचना का अधिकार:** इसे अपने सदस्यों की गरिफ्तारी, बंदी, अपराध सदिधि, कारावास या मुक्तिके बारे में **तुरंतसूचति कयि जाने का अधिकार** है ।
 - **जाँच शक्तियाँ:** संसद **जाँच कर सकती है, गवाहों को समन भेज सकती है**, तथा संबंधति पेपर तथा रकिॉर्ड की मांग कर सकती है ।
 - **न्यायकि उनमुक्तता:** न्यायालय संसदीय कार्यवाही या उसकी समतिकी गतविधियों पर प्रश्न नहीं उठा सकते ।
 - **परसिर की सुरक्षा:** पीठासीन अधिकारी की अनुमता के बनिा संसद परसिर के भीतर गरिफ्तारी या वधिकि कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

वशिषाधिकार हनन और सदन की अवमानना क्या है?

- **वशिषाधिकार का उल्लंघन:**
 - **वशिषाधिकार का उल्लंघन** तब होता है जब कोई व्यक्तया प्राधिकारी किसी सदस्य या सदन के वशिषाधिकारों की उपेक्षा करता है या उन्हें कमजोर करता है ।
 - इसमें **सदन के वैध आदेशों की अवज्ञा** या सदन, उसके सदस्यों, समतियों या अधिकारियों के वरुद्ध **अपमानजनक कार्यवाही** जैसे अपराध शामिल हैं ।
 - ऐसे उल्लंघन दंडनीय हैं ।
- **सदन की अवमानना:**
 - यह वशिषाधिकार हनन से अलग है और इसका तात्पर्य किसी ऐसेकृत्य या चूक से है जो **सदन, उसके सदस्यों या अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के नरिहन में बाधा डालता है** ।
 - इसमें **सदन या उसके सदस्यों के बारे में अपमानजनक भाषण या लेख**, सभापतिकी नषिपक्षा पर सवाल उठाना, या नषिकासति

कार्यवाही को प्रकाशित करना शामिल है।

वर्षाधिकार का प्रश्न उठाने की प्रक्रिया क्या है?

- **प्राधिकार:** केवल **संसद** ही वर्षाधिकार उल्लंघन या **अवमानना** का निर्धारण कर सकती है; न्यायालयों को इस पर कोई अधिकार नहीं है।
- **प्रक्रिया:**
 - कोई सदस्य **राज्यसभा के सभापति/लोकसभा अध्यक्ष** की सहमति से वर्षाधिकार हनन का मामला उठा सकता है।
 - यदि सहमति मिल जाती है, तो **सदन मामले पर नरिणय ले सकता है** या इसे **वर्षाधिकार समिति** (राज्यसभा में 10 सदस्य, लोक सभा में 15 सदस्य) को भेज सकता है।
 - **वर्षाधिकार समिति का कार्य:**
 - समिति **संदर्भित मामलों की जाँच** करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वर्षाधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसकी प्रकृतियाँ हैं, तथा परिस्थितियाँ क्या हैं।
 - समिति द्वारा **अनुशंसाओं सहित एक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत** की जाती है।
 - रिपोर्ट पर विचार करने के लिये प्रस्ताव के बाद, **समिति सदन से अनुशंसाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रस्ताव रखती है।**
 - आगे की **कार्यवाही सदन के नरिणय** पर आधारित होती है, जसि प्रस्ताव के सर्वसम्मति से पारित होने पर क्रियान्वित किया जाएगा।
- **अध्यक्ष की भूमिका:** अध्यक्ष स्वयं भी मामले को समिति को भेज सकते हैं या स्वतंत्र जाँच कराकर सदन को सूचित कर सकते हैं।
- **प्रतिबंध:** किसी विशेषित, हालिया मामले पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रत्येक बैठक **केवल एक वर्षाधिकार प्रश्न** उठाया जा सकता है।
- **वर्षाधिकार उल्लंघन के लिये दंड:**
 - एक बार जब सदन वर्षाधिकार के उल्लंघन के लिये दंड निर्धारित कर देता है, तो इसमें **नदि, चेतावनी या कारावास** जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं, तथा **बंदी** सदन सत्र की अवधिक ही सीमिति रह सकती है।
 - दोषी सांसदों के लिये दंड में **नलिंबन या नषिकासन** शामिल हो सकता है।
- **उल्लेखनीय मामला:**
 - वर्ष 1978 में, **पूर्व प्रधानमंत्री इंदरि गांधी** को लोकसभा वर्षाधिकार समिति द्वारा वर्षाधिकार हनन और अवमानना का दोषी पाया गया था। सरकारी अधिकारियों को परेशान करने के आरोप में उन्हें **संसद से नषिकासन और कारावास** का सामना करना पड़ा। बाद में वर्ष 1981 में **इस प्रस्ताव को रदद** कर दिया गया।

संसदीय वर्षाधिकारों से संबंधित प्रमुख नरिणय क्या हैं?

- **1998: सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने नरिणय दिया कि रशिवत लेने वाले सांसदों पर **भ्रष्टाचार के लिये मुकदमा नहीं चलाया जा सकता**, यदि वे सहमति के अनुसार मतदान करते हैं या सदन में बोलते हैं।
- **2021:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसदीय वर्षाधिकार और उन्मुक्तियाँ सभी नागरिकों पर लागू अपराधिक विधियों सहित **सामान्य विधियों से उन्मुक्त प्रदान नहीं करती हैं।**
- **2024:** सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1998 के पी.वी. नरसमिहा राव मामले में **दिये गए नरिणय को पलट दिया**, जसिमें मतदान करने के लिये रशिवत लेने वाले संसद और विधानसभा सदस्यों को उन्मुक्त प्रदान की गई थी।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और शासन पर रशिवतखोरी के हानिकारक प्रभाव पर ज़ोर दिया, तथा नरिणय दिया कि **अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के तहत उन्मुक्त रशिवतखोरी के मामलों तक वसितारति नहीं होती**, जो कि एक पृथक अपराधिक कृत्य है, जो विधिनिरमाताओं के मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है।

संसदीय वर्षाधिकारों की आलोचनाएँ क्या हैं?

- **पारदर्शिता का अभाव:** संसदीय वर्षाधिकारों का प्रयोग प्रायः **अपारदर्शी प्रक्रियाओं** के माध्यम से किया जाता है, जसिसे सार्वजनिक नगरिनी सीमिति हो जाती है तथा विधायी प्रणाली में विश्वास कम हो जाता है।
 - इससे विधायी कार्यवाही के दौरान तथा उनके सार्वजनिक आचरण में विधायकों को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है।
- **दुरुपयोग की संभावना:** विधायकों ने कभी-कभी **विधिक जवाबदेही से बचने या असहमति को दबाने के लिये वर्षाधिकारों का दुरुपयोग किया है**, तथा अनुचित या नरिधार बयान देने के लिये विधायिका के भीतर अभिविकृति की स्वतंत्रता का उपयोग किया है।
 - वर्षाधिकारों के उपयोग की नगरिनी और वनियमन के तंत्र अपर्याप्त हैं, जसिसे दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है और विधायी प्रक्रियाओं में विश्वास कम हो रहा है।
- **कार्यक्षेत्र में असपष्टता:** कई वर्षाधिकारों की अलखिति प्रकृत **असंगत व्याख्याओं और अनुप्रयोगों को जन्म देती है**, जसिसे अनश्चितता और मनमाने नरिणयों की गुंजाइश बनती है।
- **समानता के साथ टकराव:** गरिफ्तारी से उन्मुक्त जैसे वर्षाधिकारों को **विधिक समक्ष समानता के सिद्धांत के साथ असंगत** माना जा सकता है, जसिसे विधायकों को अनुचित संरक्षण प्राप्त होता है।
- **पुरानी प्रथाएँ:** औपनिवेशिक युग की परंपराओं में नहिहि कुछ वर्षाधिकार अब पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के आधुनिक लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप नहीं हैं।

संसदीय वर्षाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रथाएँ क्या हैं?

- यूनाइटेड किंगडम:
 - UK की संसद को **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**, गरिफ्तारी से उन्मुक्त तथा अपनी कार्यवाही को वनियमिति करने का अधिकार जैसे वशिषाधिकार प्राप्त हैं। ये संवधि, सामान्य वधि और पूर्व नरिण्यों के संयोजन से प्राप्त होते हैं।
- कनाडा:
 - कनाडा की संसद अपने सदस्यों को **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**, गरिफ्तारी से उन्मुक्ति, तथा वशिषाधिकार के उल्लंघन के मामले में कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान करती है।
 - इन्हें **संवधान अधिनियम, 1867** और **कनाडा संसद अधिनियम, 1985** के तहत परभिषति किया गया है।
- ऑस्ट्रेलिया:
 - संसदीय वशिषाधिकार संवधान में नहिंति हैं। वधायकों को **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**, गरिफ्तारी से उन्मुक्ति, तथा संसदीय कार्यवाही को वनियमिति करने का अधिकार प्राप्त है, तथा ये अधिकार UK और कनाडा के समान सिद्धांतों पर आधारित हैं।

संसदीय वशिषाधिकारों से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **संसदीय स्वायत्तता को खतरा:** संहिताकरण संसदीय मामलों को न्यायिक जाँच या कार्यकारी हस्तक्षेप के अधीन करके वधायिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है, जिससे शक्तियों का पृथक्करण समाप्त हो सकता है।
- **संवधानिक प्रावधानों का खंडन :** संवधान का **अनुच्छेद 122** न्यायालयों को संसदीय कार्यवाही की जाँच करने से रोकता है, जिससे वधायी स्वायत्तता सुनिश्चित होती है। वशिषाधिकारों को संहिताबद्ध करने से संसदीय मामलों को **वधिकि चुनौतियों** की अनुमति देकर इस सुरक्षा को कमजोर किया जा सकता है।
- **नम्यता की क्षति:** संसदीय वशिषाधिकार नम्य होते हैं और वधायकों को उभरते मुद्दों के अनुकूल ढलने की अनुमति देते हैं। संहिताकरण से **कठोर नयिम लागू हो सकते हैं**, जिससे वधायिका की बदलती राजनीतिक गतिशीलता पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता कम हो सकती है।
- **जटिलता और लंबी प्रक्रिया:** संहिताकरण के लिये सांसदों, वधिकि वशिषज्जों और नागरिक समाज के बीच व्यापक वचिर-वमिर्श की आवश्यकता होगी, जिससे यह एक समय लेने वाली और जटिल प्रक्रिया बन जाएगी।

आगे की राह

- **उत्तरदायी उपयोग:** वधायकों को अपने वशिषाधिकारों का वविकपूर्ण उपयोग करना चाहिये, वयक्तगत या राजनीतिक लाभ के लिये दुरुपयोग से बचना चाहिये। अनुचित टपिपणियाँ, नरिधार आरोप या शपिटाचार को कमजोर करने वाली कार्यवाहियों से बचना चाहिये।
- **अधिकारों का सम्मान:** संसदीय वशिषाधिकारों से वयक्तियों के अधिकारों और सम्मान का उल्लंघन नहीं होना चाहिये। वधायकों को वशिषाधिकारों का उपयोग भय, परेशान करने अथवा भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के लिये नहीं करना चाहिये।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** वधिकि नरिमाताओं को वशिषाधिकारों का उपयोग करने में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिये, अपने कारणों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये और अपने कार्यों को उचित ठहराने के लिये तैयार रहना चाहिये। इससे जनता का वशिवास बढ़ता है और वधायी वशिषसनीयता मजबूत होती है।
- **संसदीय प्रक्रियाओं का पालन:** स्थापित संसदीय नयिमों और स्थायी आदेशों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। वधायी प्रक्रियाओं की पवतिरता को बनाए रखते हुए वशिषाधिकारों के आह्वान और प्रवर्तन में नषिपक्षता और न्यायसंगतता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **क्षमता नरिमाण और जागरूकता:** संसदीय वशिषाधिकारों के दायरे, सीमाओं और नैतिक उपयोग पर प्रशक्षण कार्यक्रम और नयिमिति जागरूकता सत्र, वधायकों को अपनी ज़मिमेदारियों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. समाज में समानता होने का एक नहितार्थ यह है कि उसमें (2017)

- वशिषाधिकारों का अभाव है
- अवरोधों का अभाव है
- प्रतसिपरद्धा का अभाव है
- वचिरधारा का अभाव है

उत्तर: A

????

प्रश्न. संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, वशिषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (इम्यूनिटीज़), जैसे कविे संवधान की धारा 105 में परकिलपति हैं, अनेकों असंहिताबद्ध (अन-कोडिफाइड) और अ-परगिणति वशिषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। संसदीय वशिषाधिकारों के वधिकि संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिये। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है? (2014)

